रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941
No. 705] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 894(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या सदस्य सचिव, सीपीसीबी और वैज्ञानिक 'ई' को ई-मेल पते अर्थात् mscb.cpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन – (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
"24.	**लौह और इस्पात संयंत्र**		
		क1. कोक ओवन बैट्री – उत्सर्जन	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	500 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		A2. कोक ओवन – प्रत्यक्ष अस्थायी उत्सर्जन : PLD, PLL और PLO, %	
			बीपी रिकवरी प्रकार के ओवन
		दरवाजे से रिसाव – रिसाव वाले दरवाजों का प्रतिशत (PLD)	5
		भराई ढक्कनों से रिसाव – रिसाव वाले ढक्कनों का प्रतिशत (PLL)	1
		ए.पी. ढक्कनों से रिसाव – रिसाव ऑफ टेक प्रतिशत (PLO)	2
			गैर-रिकवरी प्रकार के ओवन
		दरवाजे से रिसाव – रिसाव वाले दरवाजों का प्रतिशत (PLD)*	1
		भराई ढक्कनों से रिसाव – रिसाव वाले ढक्कनों का प्रतिशत (PLL)	प्रयोज्य नहीं
		ए.पी. ढक्कनों से रिसाव – रिसाव ऑफ टेक प्रतिशत (PLO)	प्रयोज्य नहीं
		क3. कोक ओवन – अस्थायी उत्सर्जन : चार्जिंग उत्सर्जन अवधि, सेकण्ड	
		BP रिकवरी प्रकार – टॉप चार्जिंग	30
		BP रिकवरी प्रकार – स्टैम्प चार्जिंग	50
		गैर-रिकवरी प्रकार	30
		क4. कोक ओवन - अस्थायी उत्सर्जन : बैंजो-ए-पाईरीन	
		कोक ओवन बैट्री का ऊपरी भाग	5 $\mu g/m^3$
		कोक ओवन प्लांट के अन्य क्षेत्र	2 $\mu g/m^3$
		ख. सिंटेरिंग और पेलेटाइजिंग संयंत्र – मुख्य और गौण स्टैक उत्सर्जन	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	500 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		ग1.ब्लास्ट फर्नेस – स्टोव स्टैक उत्सर्जन	
		विविक्त पदार्थ (PM)	30 mg/Nm^3
		SO_2	250 mg/Nm^3
		NOx	200 mg/Nm^3
		CO	1% (max.)
		ग2. ब्लास्ट फर्नेस – कास्ट गृह धुआं निष्कर्षण प्रणाली	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3

		घ1. आधारभूत ऑक्सीजन भट्टी (बीओएफ)/ऊर्जा इष्टतमीकरण भट्टी (ईओएफ)-मुख्य स्टैक उत्सर्जन*	
		विविक्त पदार्थ (PM) - सामान्य प्रचालन - ब्लोविंग और लांसिंग	 50 mg/Nm^3 100 mg/Nm^3
		SO_2	500 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		*ये मानक गेस पुनप्राप्ति किए बिना भट्टियों से संबद्ध हैं।	
		घ2. आधारभूत ऑक्सीजन भट्टी (बीओएफ)/ऊर्जा इष्टतमीकरण भट्टी (ईओएफ)– गौण परिष्करण प्रक्रिया स्टैक और फ्यूम निष्कर्षण प्रणाली	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		ङ. प्रसंस्करण गैस आधारित विद्युत संयंत्र/बॉयलर	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	300 mg/Nm^3
		NOx	400 mg/Nm^3
		च. रोलिंग मिल	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	300 mg/Nm^3
		NOx	400 mg/Nm^3
		छ. चूना भट्टी/डोलोमाइट भट्टी/उच्चताप सह इकाई	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	400 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		ज1. कोयला आधारित स्पॉज लौह संयंत्र- भट्टी/डब्ल्यूएचआर बॉयलर स्टैक उत्सर्जन**	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		CO	1% (max.)
		**स्टैक उत्सर्जन परीक्षण के परिणामों को 12% CO_2 पर सामान्य किया जाएगा।	
		ज2. गैस आधारित स्पॉज लौह संयंत्र- प्रसंस्करण गैस हीटर स्टैक उत्सर्जन	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	250 mg/Nm^3
		NOx	200 mg/Nm^3
		CO	1% (max.)
		ज3. स्पॉज लौह संयंत्र (कोयला/गैस)-डी-डस्टिंग/फ्यूम निष्कर्षण प्रणाली	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		झ. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3

IndiaCode

		ञ. इंडक्शन फर्नेस	
		विविक्त पदार्थ (PM)	50 mg/Nm^3
		ट. अस्थायी उत्सर्जन	
		स्रोत से 20 मीटर पर PM_{10}	2000 $\mu g/m^3$
		ठ. बहि:स्राव मानक	
		pH	6.0 to 8.5
		बीओडी, 27° से. पर 3 दिन (मिग्रा/ली.)	30
		सीओडी (मिग्रा/ली.)	250
		निलम्बित ठोस कण (SS) (मिग्रा/ली.)	50
		तेल एवं ग्रीस (मिग्रा/ली.)	10
		N के रूप में अमोनिकल नाइट्रोजन (मिग्रा/ली.)	50
		फिनल (मिग्रा/ली.)	1
		CN के रूप में साइनाइड (मिग्रा/ली.)	0.2

टिप्पणी :

1. प्रक्रिया स्टैक की ऊंचाई, H न्यूनतम 30 मी. या सूत्र- $H=14Q^{0.3}$ के अनुसार होगी (जहां Q का अर्थ कि.ग्रा./घ. में SO_2 उत्सर्जन है), और अधिकतम, दोनों में जो भी अधिक हो, लागू होगा।

2. उपरोक्त PM उत्सर्जन सीमाओं का मौजूदा इकाइयों द्वारा तीन वर्ष के भीतर अनुपालन किया जाएगा, तब तक ऐसी इकाइयों पर पूर्व की अधिसूचना, तारीख 31.03.2012 द्वारा विनिर्दिष्ट PM उत्सर्जन सीमाएं लागू होंगी।

3. उपरोक्त बहि:स्राव एसएस सीमा का मौजूदा इकाइयों द्वारा एक वर्ष के भीतर अनुपालन किया जाएगा और तब तक ऐसी इकाइयों पर SS-100 मिग्रा/ली. सीमा लागू होगी।

4. विभिन्न प्रक्रियाओं से निकलने वाले बहि:स्राव का प्रक्रिया की अपेक्षानुसार आवश्यक पूर्व-शोधन करने के पश्चात् अधिकतम संभव क्षमता तक संयंत्र के अंदर पुनउर्पयोग किया जाएगा। अंतिम बहि:स्राव का पर्यावरण में निपटान करने से पूर्व विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप शोधन किया जाएगा।

5. नए कोयला आधारित स्पॉज लौह संयंत्र, भट्टी अपशिष्ट ताप बायलर के साथ संस्थापित किया जाएगा। मौजूदा स्पॉज लौह संयंत्रों के लिए एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा संयंत्रों की क्षमता के आधार पर अपशिष्ट ताप पुनप्राप्ति बॉयलर के प्रयोग में लाने के लिए संबंधित राज्यों के लिए नीति तैयार की जाएगी।

6. नए कोयला आधारित स्पॉज लौह संयंत्रों को भट्टी से उत्पन्न डोलचार के उपयोग करने हेतु बॉयलर सहित संस्थापित किया जाएगा। मौजूदा स्पॉज लौह संयंत्रों के लिए एसपीसीबी भट्टी से उत्पन्न डोलचार के उपयोग हेतु संबंधित राज्यों के लिए नीति तैयार करेगा।

7. स्टैंडअलोन रोलिंग मिल री-हीटिंग फर्नेस, फाउन्ड्री (क्यूपला, आर्क और इंडक्शन फर्नेस) और छोटे पैमाने के क्षेत्र की चूना भट्टी के लिए क्र.सं. 111, 108 और 110 पर दिए मानक लागू होंगे।

IndiaCode

3. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I, नियम 3; विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन या विमुक्ति के लिए मानक, में स्पॉज लौह संयंत्र (रोटेटरी भट्टी) के क्रम संख्या 99 पर प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.क्यू-15017/32/2007-सीपीडब्ल्यू]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अंत में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 5 (अ), तारीख 03 जनवरी, 2019 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2019

G.S.R. 894(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, CPCB and Scientist 'E' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
"24.	**Iron and Steel plants**		
		A1. Coke Oven Battery - Emission	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	500 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		A2. Coke Oven – Visible Fugitive emission: PLD, PLL & PLO, %	
			BP Recovery type ovens
		Leakage from doors - Percent Leaking Doors (PLD)	5
		Leakage from charging lids -Percent Leaking Lids (PLL)	1
		Leakage from AP covers - Percent Leaking Off takes (PLO)	2

			Non-Recovery type ovens
		Leakage from doors - Percent Leaking Doors (PLD)*	1
		Leakage from charging lids -(Percent Leaking Lids (PLL)	NA
		Leakage from AP covers - Percent Leaking Off takes (PLO)	NA
		A3. Coke Oven - Fugitive emission: Charging emission duration, seconds	
		BP Recovery type - top charging	30
		BP Recovery type - stamp charging	50
		Non-Recovery type	30
		A4. Coke Oven - Fugitive emission: Benzo-a-Pyrene	
		Top of the coke oven battery	5 $\mu g/m^3$
		Other areas of coke oven plant	2 $\mu g/m^3$
		B. Sintering and Pelletizing Plants - Main and secondary stacks emission	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	500 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		C1.Blast Furnace - Stove stack emission	
		Particulate Matter (PM)	30 mg/Nm^3
		SO_2	250 mg/Nm^3
		NOx	200 mg/Nm^3
		CO	1% (max.)
		C2. Blast Furnace – Cast house fume extraction system	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		D1. Basic Oxygen Furnace(BOF)/Energy Optimization Furnace (EOF)-Main stack emission*	
		Particulate Matter (PM) - Normal operation - Blowing and lancing	 50 mg/Nm^3 100 mg/Nm^3
		SO_2	500 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		*these standards are relevant to the furnaces without gas recovery.	
		D2. Basic Oxygen Furnace (BOF) / Energy Optimization Furnace (EOF) – Secondary refining process stack and Fume extraction system	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		E. Process Gas Based Power Plants / Boilers	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	300 mg/Nm^3
		NOx	400 mg/Nm^3
		F. Rolling Mills	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	300 mg/Nm^3
		NOx	400 mg/Nm^3
		G. Lime kilns, Dolomite kilns, Refractory units	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	400 mg/Nm^3
		NOx	500 mg/Nm^3
		H1. Coal based Sponge Iron Plant –Kiln / WHR Boiler stack emission**	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		CO	1% (max.)
		**Stack emission test results shall be normalized at 12% CO_2	
		H2. Gas based Sponge Iron Plant – Process gas heater stack emission	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		SO_2	250 mg/Nm^3
		NOx	200 mg/Nm^3
		CO	1% (max.)
		H3. Sponge Iron Plants (Coal/Gas) –De-dusting /Fumes extraction System	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3

IndiaCode

		I. Electric Arc Furnaces	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		J. Induction Furnaces	
		Particulate Matter (PM)	50 mg/Nm^3
		K. Fugitive emissions	
		PM_{10} at 20 metre from sources	2000 µg/m^3
		L. Effluent standards	
		pH	6.0 to 8.5
		BOD, 3 days at 27 ºC (mg/l)	30
		COD (mg/l)	250
		Suspended Solids (SS) (mg/l)	50
		Oil & grease (mg/l)	10
		Ammonical nitrogen as N (mg/l)	50
		Phenol (mg/l)	1
		Cyanide, as CN^-(mg/l)	0.2
		Note: 1. Height of process stack, H shall be minimum 30 m or as per the formula - $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO_2 emission in kg/hr), and maximum of two shall apply. 2. The above PM emission limits shall be complied by the existing units within three years, till then the PM emission limits prescribed by earlier notification dated 31.03.2012 shall apply on such units. 3. The above effluent SS limit shall be complied by existing units within one year, till then SS-100 mg/l limit shall apply on such units. 4. Effluent from various processes shall be reused within the plant to maximum possible extent after necessary pre-treatment as per requirement of the process. The final effluent shall be treated as per prescribed standards before disposal into the environment. 5. New coal based Sponge Iron Plants shall come up with kiln waste heat boiler. For existing sponge iron plants, SPCBs / PCCs shall prepare policy for respective states for implementation of waste heat recovery boiler based on capacity of the plants. 6. New coal based Sponge Iron Plants shall come up with boiler for utilisation of the dolochar produced from the kiln. For existing sponge iron plants, SPCBs shall prepare policy for respective states for utilisation of the dolochar produced from the kiln. 7. For standalone Rolling Mill Re-heating Furnaces, Foundries (Cupola, Arc and Inductions Furnaces), and Lime Kilns of small scale sector the standards at S. No. 111, 108 and 110 shall apply.	

3. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, Rule 3: Standard for Emission or Discharge of Environmental Pollutants from various Industries, the entry at serial number 99 for Sponge Iron Plant (Rotatary Kiln) shall be deleted."

[F.No. Q-15017/32/2007-CPW]
ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 5(E), dated the 3rd January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.05 12:27:03 +05'30'